भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या 162
गुरुवार, 2 फरवरी, 2023/ 13 माघ, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

तेलंगाना में विमानपत्तन

162. श्रीमती कविता मलोथू:
डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:
डॉ. जी.रणजीत रेड्डी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राज्य में छह विमानपत्तनों को मंजूरी देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने उपरोक्त विमानपत्तनों पर ऑब्सटेकल लिमिटेशन सरफेस सर्वेक्षण, मृदा परीक्षण, आदि किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या एएआई ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;
(ड.) यदि हां, तो एएआई के निष्कर्ष क्या हैं; और
(च) केन्द्र सरकार का इन परियोजनाओं के लिए कब तक सभी वैधानिक मंजूरी प्रदान करने/अनुमोदित करने का विचार है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (घ): तेलंगाना सरकार ने निम्नलिखित स्थानों पर तीन ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का विकास करने का प्रस्ताव दिया है (i) जकरनपल्ली, निजामाबाद जिला (ii) पलवांचा, भादाद्री कोठागुडेम जिला, (iii) देवराकाद्रा, महबूबनगर जिला और (iv) ममनूर, वारंगल जिला (v) बसंत नगर, पेद्दापल्ली जिला और (vi) आदिलाबाद जिले में आदिलाबाद के तीन ब्राउनफील्ड हवाईअड्डों के विकास हेतु प्रस्ताव दिया है तथा इन छह (6) हवाईअड्डों के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन (टीईएफ़एस) करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) को नियुक्त किया है। भाविप्रा ने उपर्युक्त सभी छह हवाईअड्डों के लिए राज्य सरकार के पास टीईएफएस रिपोर्ट जमा कर दी है। उपर्युक्त सभी स्थानों पर ओब्सटेकल लिमिटेशन सर्फ़ेसेस (ओएलएस) सर्वे, मृदा परीक्षण (soil testing) आदि आयोजित किए गए और दिनांक 06.07.2021 को भाविप्रा द्वारा राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।
(ङ): अध्ययन के अनुसार, केवल 03 स्थान यथा वारंगल (ब्राउनफील्ड), आदिलाबाद (ब्राउनफील्ड) और जकरनपल्ली (ग्रीनफील्ड) तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाए गए हैं। भाविप्रा ने तेलंगाना सरकार से व्यवहार्य पाए गए इन 03 हवाईअड्डों को

छोटे विमानों के निजी प्रचालन हेतु विकसित करने और इस उद्देश्य के लिए किसी को नियुक्त करने का अनुरोध किया है ताकि भूमि अधिग्रहण की तत्काल आवश्यकता से बचा जा सके। तदनुसार, वारंगल, आदिलाबाद और जकरनपल्ली के लिए मास्टर प्लान (जिनको पहले चरण-I में एटीआर-72 और चरण-2 में एबी-320के प्रचालन हेतु तैयार किया गया था) पर फिर से काम किया गया और सामान्य एविएशन विमानों के निजी प्रचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एयरोड्रम संदर्भ कोड-2बी हेतु इन 03 हवाईअड्डों के विकास को धीमा किया गया है।

(च): भाविप्रा ने तेलंगाना सरकार को, इन 03 हवाईअड्डों के वास्तविक विकास को शुरू करने से पहले नए सिरे से ओएलएस सर्वेक्षण करने की सलाह दी है (ताकि अद्यतन वास्तविक बाधाओं की पहचान की जा सके) क्योंकि इसके लिए नागर विमानन मंत्रालय और अन्य विनियामक/सांविधिक प्राधिकरणों से स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है। हवाईअड्डा परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरी की उपलब्धता, परियोजना प्रस्तावक यानी तेलंगाना सरकार की वित्तीय संपूर्णता।

*****